

No. HQ/PIO/RTI/79/14

Date: 22.05.2014

Sh. Karan Amit Kumar,

C/o Sh. Vindeshwar Thakur,
Panchsheel Aashram Ke Paas,
Burari, North Delhi,
New Delhi-110084.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 20.03.2014, received on 21.03.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. इस विषय पर डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को रेल मंत्रालय से कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।
2. एक ही भू-स्वामी की अनेक स्थानों पर इस परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहीत किये जाने पर एक्सप्रेसिया का भुगतान एक ही बार ही किया जा रहा है।
3. भू-स्वामियों/प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक प्रपत्र जमा किये जाने पर यथा शीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जाता है। भुगतान की समय सीमा सम्बन्धित कोई प्रावधान रेलवे संशोधित अधिनियम-2008 में नहीं है। भूमिहीन एवं अन्य मिलने वाले लाभों की जानकारी परियोजना के लिए अधिकृत मौलिक पात्रता में दी हुई है। मौलिक पात्रता की प्रति संलग्न है।
4. सक्षम प्राधिकारी/इटावा डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा रेलवे संशोधित अधिनियम-2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय में प्रतिकर के दर निर्धारण सम्बन्धी जानकारी है तथा नाम/पदनाम आदि भी उल्लेखित है। (प्रति संलग्न)
5. श्री राजीव भटनागर, जनसूचना अधिकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के मुख्यालय में नियुक्त हैं। जिसना दूरभाष नं. 011-23454700 है।

DA: As above.

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:

1. CPM/Kanpur
2. GM/SEMU/EC